



पंचायती राज द्वारा गोंड जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव

डॉ. कमलेश पाल

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो , समाजशास्त्र विभाग , काशी हिन्दू विश्वविद्यालय , वाराणसी.

सारांश:

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम-स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेंद्रित करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया।



मुख्य शब्द: पंचायती राज, गोंड जनजाति, 73वाँ संविधान संशोधन, ग्राम स्वराज व्यवस्था, आर्थिक जीवन।

प्रस्तावना :

लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रुचि बनी रहती है। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय एवं विकास कार्यों का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था की पृष्ठभूमि अतिप्राचीन रही है। यद्यपि उसका स्वरूप पृथक-पृथक रहा है। वैदिक साहित्य में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उस समय इसका मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। वह ग्राम के श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध लोगों से सलाह लेकर अपना कार्य करता था। इसी प्रकार ग्राम संस्थाओं का उल्लेख रामायण एवं महाभारत काव्य ग्रंथों में मिलता है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' मौर्यकाल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। महान मौर्य सम्राटों ने भी शासन की सबसे छोटी इकाई में हस्तक्षेप नहीं किया और ग्राम समुदायों को उसी रूप में रहने दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में ग्राम प्रशासन कायम रहा।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम-स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेंद्रित करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है जिसके लिए ग्राम सभा में कोष की व्यवस्था की गई है जिसके चार भाग हैं—(1) अन्न कोष (2) श्रम कोष (3) वस्तु कोष (4) नगद कोष।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले के जुन्नार देव जनपद पंचायत के पांच ग्राम पंचायत (1) दमुआ (2) राखी कोल (3) घोरावारी खुर्द (4) करन पियरिया (5) विलावर कला है। इन सभी ग्राम पंचायतों में गोंड जनजातियों की जनसंख्या लगभग 60.00 प्रतिशत से अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद इन्हीं जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। सरपंच के पदों पर निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधि निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति संवेदनशील होंगे और उन्हें ऊँचा उठाने का प्रयास भी करेंगे। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिए किया गया।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16 वीं शताब्दी तक था। गोंड शब्द कोंड का हिन्दी रूपान्तर है जिसके लिए कोयतोर शब्द का प्रयोग

किया जाता है। हिसलप के अनुसार—गोंड या गुण्ड शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियाँ स्वयं की पहचान 'कोय' या 'कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है। ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहाँ कहीं भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते हैं।

मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिदवाडा, बैतूल, होशंगावाड,सिवनी, नरसिंहपुर और मडला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने राज्य विकसित किये इनमें से नर्मदा भदी बेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी-विदेशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभू शुक के डमरू से हुई, जिसे गोएन्दाधिवासी या गोंड वासी कहा जाता है अति प्राचीन भाषा होने के कारण गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय-समय पर गोंडी साहित्यकारों ने प्रस्तको के माध्यम से प्रकाशित किया है। शारीरिक रचना का जहाँ तक प्रश्न है, गोंडों के बाल, चमड़ी और आंख की पुतली गाढ़े रंग की होती है। सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते हैं तथा मस्तक भी सेकरा होता है चेहरा सामान्य रूप से चौड़ा दिखता है और ठोड़ी संकरी तथा नुकीली होती है इस प्रकार चेहरे में होट विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है आंखों में उपरी पलक छुपी सी रहती है तथा उनकी उचाई माध्यम से निम्न तक होती है इनके पैर लम्बे धड अपेक्षाकृत छोटे तथा गोड लोग लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते हैं। प्रायः गोड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते हैं किन्तु इनके अंग भद्दे दिखाई देते हैं।

गोंड जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव

पंचायतों के माध्यम से गोंड जनजातियों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पंचायतों द्वारा पक्के कुओं का निर्माण एवं बिजली व्यवस्था से अब गोंड जनजातीय लोग भी खेती आधुनिक तरीके से करने लगे हैं। इस प्रकार जहाँ ये जनजातीय जन भोजन के लिए भी खाद्यान्न की पूर्ति नहीं कर पाते थे। अब ये अच्छी खेती करके, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर उसे बाजारों में उचित मूल्य से विक्रय कर लेते हैं जिससे अब इनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ हुई है। इसी प्रकार आज जनजातियाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों से अपने जीवन स्तर ऊपर बढ़ा रही हैं। पंचायतों के माध्यम से इन कुटीर उद्योगों के लिए अनुदान आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार जिन पंचायतों में इनकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व है वहाँ और आसानी से इन्हें अनुदान प्राप्त हो जाता है। प्रायः देखा जाता था कि जनजाति के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी आसानी से नहीं कर पाते थे लेकिन वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था से निश्चय ही इनके जीवन मूल्य बदल दिये हैं। अब इनमें भी प्रतिस्पर्धा होने लगी है। इस प्रकार से एक दुसरे से प्रतिस्पर्धा कर अपने जीवन स्तर को ऊँचा करने में जनजातीय लोग भी सक्रिय हुये हैं। पंचायतों के अनुदान से ही अब ये जनजातीय जन सिचाई के साधन, कुओं का निर्माण, ट्रैक्टर एवं अत्याधुनिक संसाधनों की आवश्यकता एवं पूर्ति में लगे रहते हैं। जनजातीय जन जहाँ स्वयं अपने में सीमित रहते थे वहीं अब ये भी जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में उन्नति की बात करते नजर आते हैं।

इस प्रकार से वर्तमान पंचायतीराज ने इनके जीवन के समस्त पहलुओं पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस प्रभाव से जहाँ जनजातियों की आवश्यकताएँ सीमित थीं वहीं अब भी संवेदनशील नजर आ रही हैं। गोंड जनजातीय जीवन जहाँ आर्थिक रूप से निम्नतम स्तर पर था वहीं अब ये उसे उच्चतम स्तर पर करने में लगे हुये नजर आते हैं। जहाँ इनकी सीमित आवश्यकताएँ इनकी सोच को सीमित किये हुई थी वहीं अब ये भी व्यापक तरीके से अपने जीवन को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करने लगी है। इस प्रकार जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति करने लगता है। इस प्रकार से वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था से गोंड जनजातियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकास का कम अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो जनजातियाँ निश्चय ही एक दिन उन्नति पर होंगी।

सुझाव—

- पंचायत स्तर पर हार एवं बाजारों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
- पंचायती राज द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रचार—प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए जिससे इनका आर्थिक विकास हो सके।
- पंचायतीराज को ऋण की सुविधा आसानी से दिलाये जाने पर प्रयत्न करना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर एक कोष की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि समय—समय पर इनके आर्थिक विकास हेतु अनुदान एवं सहायता दे सके
- इनको आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राथमिक रूप से जागरूक करना चाहिए

सन्दर्भ

- भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधान: एक परिचय, लेक्सिस नेक्सस, गुडगाँव हरियाणा।
- द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
- गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
- मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।

- मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गनाइजेशन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशंस उदयपुर ।
- पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धांत, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3-5
- प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश ।
- रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।
- सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल ।
- सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल ।
- सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था: विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
- सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
- त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति ।
- तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
- उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
- उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेंट इन इंडिया: ए क्रिटिकल अप्राजल, काउन पब्लिकेशन्स राची ।
- वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकास: मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर ।